वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम– Strengthening of Training Institutions (repair/renovation of training institution)
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष–Strengthening of Training Institutions (repair/renovation of training institution)
बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या – A.9.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण– आवंटित राशि नर्सिंग स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए दी जा रही है। जिसका खर्च स्कूल भवनों की मरम्मती, नया निर्माण, साफ–सफाई, विद्युत आपूर्ति/जेनरेटर बैक–अप जलापूर्ति, छोटी–मोटी खरीदारी के लिए दी जा रही है। राशि का खर्च सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना है।

इकाई राशि : 2 लाख प्रति ए0एन0एम0 स्कूल।

वित्तीय दिशा निर्देशन–

- यह राशि 2 लाख रूपये प्रति एन0एन0एम0 स्कूल हेतु जिला स्वास्थ्य समिति को तथा जी0एन0एम0 स्कूल हेतु मेडिकल कॉलेजो को उपलब्ध कराई जा रही है। जिला स्वास्थ्य समिति ए0एन0एम0 स्कूलों के सुदृढ़ीकरण हेतु इसका नियमानुसार खर्च करेगी।
- इस राशि का उपयोग स्कूल भवन/छात्रावास/जलापूर्ती, विद्युत आपूर्ति की मरम्मती एवं छोटी–मोटी खरीदारी के लिए किया जाना है। चुँकि राशि की उपयोगिता का मूल्यांकन 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पेयजल आपूर्ति, शौचालय की साफ–सफाई एवं स्कूल परिसर की साफ–सफाई के आधार पर होगा। अतः इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है। विद्युत आपूर्ती के लिए जहाँ जेनरेटर बैक–अप की आवश्यकता हो वहाँ out sourcing के माध्यम से सुविधाए उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा प्रत्येक भाग का अलग–अलग सम्बंधित असैनिक शल्य चिकित्सक एवं सम्बंधित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक प्रत्येक तीन माह पर प्रशिक्षण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का व्यय बिहार सरकार की वित्तीय नियमावली 2005 के आलोक में की जायेगी।
- अगर मरम्मती की आवश्यकता नही हैं एवं मरम्मती के अलावे कुछ अन्य सामग्री का क्रय करने की आवश्यकता हो तो इसकी अनुमति राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त करने के पश्चात् ही क्रय किया जाय।
- किसी भी सामग्री के क्रय करने से पूर्व संस्थान के भंडारपाल से यह प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य हैं जिससे यह उल्लेखित किया जायेगा कि उक्त सामग्री पूर्व में संस्थान के लिए क्रय नही की गई है या उक्त सामग्री अकार्यरत है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० जयती श्रीवास्तव, उपनिदेशक–प्रशिक्षण
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर– 0612-3244041, 9470003019

Jayati 18/7/11